


क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	11/6/23	<p>पत्रावली पेश हुई। पेंरोकर सरकार व वकील अणार्थी उफा। पेंरोकर सरकार द्वारा वादग्रस्त सूक्ति के सम्बन्ध में 177 का वाद पेश किया गया था। अतः, वादग्रस्त सूक्ति का स्वयं ही जाने के कारण अब उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। अतः पेंरोकर सरकार सहमतिपत्र द्वारा उक्त वाद 177 का खारिज किया जाना है। पत्रावली के तत्पश्चात् शुमार दोकर के नम्बर ले कर है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिष्ठाता उपखण्ड, जयपुर (जयपुर) </p>